रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2055] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938
No. 2055] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2737(अ).— केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 477(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की जिन उद्योगों के बारे में औद्योगिक लाइसेंसीकरण अनिवार्य है, उनकी सूची से संबंधित अनुसूची 2 में, क्रम संख्यांक 3 में, आईटीसी (एचएस) कोड 22.03, 22.04, 22.05, 22.06 और 22.08 और उससे संबंधित प्रविष्टयों का लोप किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 4(7)/1999-आईपी(जिल्द-3)]

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 477 (अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 998(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2737 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O.477 (E) dated the 25th July, 1991 namely:-

2. In the said notification, in Schedule II relating to the 'List of Industries in respect of which Industrial Licensing is compulsory' in serial number 3, ITC(HS) Codes 22.03, 22.04, 22.05, 22.06 and 22.08 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 4(7)/1999-IP(Vol-III)]

RAVNEET KAUR, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and last amended vide Notifications number S.O. 998 (E) dated the 10th April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.22 13:15:18 +05'30'